

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./3क(2)/ 469 /30 प्रति.पदोन्नति/2022-23/दिनांक 18.08.2022

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 (यथासंशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली -2019 (यथासंशोधित) के नियम-16 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सेवाए-2/844/मा0न्या0प्र0/2019-20 दिनांक 15 अप्रैल 2019 पत्रांक/सेवाए-2/19697/30 प्रतिशत/2019-20 दिनांक 05 दिसम्बर 2020 एवं पत्रांक/सेवाए-2/अराज0/7455-57/30प्रति0 पदो0/2022-23 दिनांक 25 जून 2022द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में विज्ञप्ति वर्ष 2019-20 के सापेक्ष राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0, सहायक अध्यापक, रा0उ0प्रा0वि0 एवं सहायक अध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापक, रा0प्रा0वि0/सहायक अध्यापक रा0उ0प्रा0वि0/रा0आ0वि0 को स0अ0एल0टी0-स्नातक वेतनक्रम (वेतन मैट्रिक्स 44900-142400, लेवल-7) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित विद्यालय में अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर मौलिक पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता नियमानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। पदोन्नति हेतु सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की पदोन्नति समाप्त कर दी जायेगी। जिस हेतु सम्बन्धित का कोई दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। औपबन्धिक श्रेणी के शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस कार्यालय द्वारा उनके मूल शैक्षणिक/प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरान्त उनका औपबन्धन समाप्त किया जायेगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले

विषय-कला (सामान्य शाखा)							
क्र.सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	पदोन्नत/ पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शबनम शर्मा, स0अ0	रा.पू.मा.वि. लक्ष्मीपुर	सहसपुर	देहरादून	27-09-1993	रा.इ.का. केराड़, चकराता, देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	चित्रलेखा राणा, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. पैज	उखीमठ	रूद्रप्रयाग	01-03-1995	रा.इ.का.भीमरी, अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	कल्पना थपलियाल, स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. खरीक टाटरी	द्वारीखाल	पौड़ी	14-02-1997	रा.इ.का. झण्डीचौड, दुगड्डा, पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	सुनीता रावत, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 क्वली डोभा	नैनीडांडा	पौड़ी	06-10-1997	रा.इ.का. दियूली, यमकेश्वर, पौड़ी	औपबन्धिक पदोन्नति
5	इन्द्रा शाहू, स.अ.	रा.प्रा.वि. थलनदी	थलीसैण	पौड़ी	22-10-2005	रा.इ.का. नागणी, चम्बा, टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	पुष्पा नेगी, स.अ.	रा.प्रा.वि. तूना	अगस्तमुनि	रूद्रप्रयाग	09-01-2009	रा.उ.मा.वि. माला, यमकेश्वर, पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	मधुसुदन, स.अ.	रा.प्रा.वि. भलगांव	द्वारीखाल	पौड़ी	24-01-2009	रा.इ.का. रीठाखाल, एकेश्वर, पौड़ी	औपबन्धिक पदोन्नति
8	दीपक नेगी, स.अ.	रा.प्रा.वि. विरमोली	द्वारीखाल	पौड़ी	24-01-2009	रा.उ.मा.वि. आमसौड, दुगड्डा, पौड़ी	औपबन्धिक पदोन्नति
9	सुशीला भट्ट स.अ.	रा.प्रा.वि. झिरकोटी	कीर्तिनगर	टिहरी	28-02-2009	रा.इ.का. देवप्रयाग, पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
10	कमलेश सिंह कण्डारी, स.अ.	रा.प्रा.वि. चैड	नैनीडांडा	पौड़ी	31-08-2009	रा.उ.मा.वि. तोल्यूडांडा, रिखणीखाल, पौड़ी	औपबन्धिक पदोन्नति

1	2	3	4	5	6	7	8
11	संजय कुमार सिंह, स.अ.	रा.प्रा.वि. टांडियू	नैनीडांडा	पौडी	31-08-2009	रा.इ.का. खिरैरीखाल, नैनीडांडा, पौडी	औपबन्धिक पदोन्नति

18/08/22
(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृ.सं./सेवा.अराज./3क(2)/ 5843-56 /30 प्रति. पदोन्नति/2022-23/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं के कार्यभार ग्रहण की सूचना प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
- 7- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपशिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्ति की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 10- सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 11- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 12- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को (सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. के माध्यम से) इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी समस्त अभिलेखों का भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात सम्बन्धित विषय का पद रिक्त होने पर ही सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें:-
(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
(ख) चयन वर्ष की प्रथम तिथि को न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण की हों तथा वर्तमान में वेतनमान- 44900-142400 वेतन मैट्रिक्स में लेवल 07 में कार्यरत हों।
(ग) शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
(घ) उक्त शिक्षकों के लिये नियमावली के नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (पांच) के अनुसार प्रशिक्षण अर्हता के उपबन्ध लागू होंगे।
- 13- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 14- एम.आई.एस. प्रभारी, कार्यालय-महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से कि उक्त सूची को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
- 15- कार्यालय आदेश पंजिका।

18/08/22
(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी